



वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

# पुलिस अधिकारियों के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को लागू करने के बारे में तेलंगाना पुलिस के साथ कार्यशाला

Posted On: 12 JUL 2017 6:12PM by PIB Delhi

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग के तत्वावधान में आईपीआर संवर्द्धन और प्रबंधन प्रकोष्ठ (सीआईपीएएम) बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को लागू करने के बारे में तेलंगाना पुलिस के साथ एक कार्यशाला आयोजित कर रहा है। इसका आयोजन हैदराबाद स्थित राज बहादुर वेंकट राम रेड्डी तेलंगाना राज्य पुलिस अकादमी में 13-14 जुलाई, 2017 को किया गया है। यह कार्यशाला सीआईपीएएम द्वारा देश में प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाओं की श्रृंखला का एक हिस्सा है।

हाल में सीआईपीएएम द्वारा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में आईपीआर को लागू करने के बारे में अनेक कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी में एक प्रवर्तन कार्यशाला का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें 9 राज्यों के अधिकारियों ने भाग लिया। आईपीआर अब सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद और पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, मेघालय की प्रशिक्षण सूची का हिस्सा बन चुका है। इस तरह के कुछ और प्रशिक्षण कार्यक्रम पाईपलाइन में हैं।

इन कार्यशालाओं को इस तरीके से तैयार किया गया है कि पुलिस अधिकारी आईपीआर के प्रभावी प्रवर्तन में अपनी भूमिका के महत्व को समझें। इन कार्यशालाओं में जालसाजी और समुद्री डकैती सहित अनेक विषयों को शामिल किया गया है। पुलिस अधिकारियों की प्रभावकारी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नियमित व्याख्यान श्रृंखलाओं के अलावा विभिन्न गतिविधियां जैसे क्विज, नाटक, आईपी वीडियो और मामलों के अध्ययन आदि को कार्यशाला का हिस्सा बनाया गया।

इसके अलावा सीआईपीएएम ने पुलिस के लिए एक आईपीआर प्रवर्तन टूल-किट तैयार किया है। यह टूल-किट ट्रेडमार्क में जालसाजी और कॉपी राइट की चोरी जैसे आईपी अपराधों से खास तौर से निपटने में देशभर के पुलिस अधिकारियों की मदद करेगा, जो न केवल भारत में बल्कि दुनियाभर में एक बड़ी परेशानी बन चुकी है। अपराधों के विवरण के अलावा यह टूल-किट शिकायत दर्ज करने के लिए जांच सूची प्रदान करेगा और तलाशी में मदद करेगा।

\*\*\*

वीके/केपी/डीके-2049

(Release ID: 1495375) Visitor Counter : 13

